

# FORM NO. III

(1)

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

किस्म मुकदमा इलायत बनाम सरकार न सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p><u>11/6/20</u>                      वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पौलखान अधिकारी                      कोराना कायर्स के कारण                      नकल दिनांक 27/8/20 को पेश हो।                      दिनांक <u>27-8-20</u> को पेश हो।  <u>5</u></p> <p><u>27-8-20</u>                      वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पौलखान अधिकारी                      कोराना के कारण                      नकल दिनांक 27/8/20 को पेश हो।                      दिनांक <u>27-8-20</u> को पेश हो।  <u>5</u></p>	
	<p><u>31/1/20</u>                      वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य                      गित है। पेश किया, नकल दिनांक                      7/1/20 को पेश हो।                      दिनांक <u>7-1-20</u> को पेश हो।  <u>5</u></p>	
	<p><u>2/1/21</u>                      वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य                      गित है। पेश किया, नकल दिनांक                      4/1/21 को पेश हो।                      दिनांक <u>4-1-21</u> को पेश हो।  <u>5</u></p>	
	<p><u>4/1/21</u>                      वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य                      गित है। पेश किया, नकल दिनांक                      4/1/21 को पेश हो।                      दिनांक <u>4-1-21</u> को पेश हो।  <u>5</u></p>	

# फर्द अहकाम

न्यायालय.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....गोविन्दगढ़ (अलवर)  
वकील पूज्यपेड.....बनाम.....सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
-------------	----------------------------------	----------------------------------

21.12.23 .....वकील वादी.....अनुपस्थित  
 साबिक आदेश दिनांक.....  
 की पालना में पत्रावली वास्ते.....तकदी 18.1.24  
 दिनांक.....को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

18.1.24 पत्रावली मस्टूर हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील व उनके वादी को चार-चार भागवाय किसानों की साथ 5:00 बजे तक बैठकार किया गया पुन आवाय लगायी गई इसके बावजूद वकील व उनके वादी उपस्थित नहीं आये भ्रम! हावा वकील व उनके वादी की भद्रम हाजिरी - भद्रम फेरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शूगर होकर नम्बर से कम है। वाद शमित वकील हाजिरी नफरत है।  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज